पुस्तक के संबंध में

सामाजिक आर्थिक मुद्दे पर आधारित यह पुस्तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र, निबंध तथा सामाजिक-आर्थिक न्याय पर आधारित पूछे जाने वाले नीतिशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर के अनुरूप है।

इस पुस्तक से अभ्यार्थी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन में 150 अंक तथा निबंध में 200 अंक के साथ-साथ मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित समाज, सामाजिक न्याय, सामाजिक मुद्दे व सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ें विषयों के प्रश्नों का उत्तर सुनिश्चित कर सकते हैं।

पुस्तक में सामाजिक-आर्थिक विकास के सभी पहलुओं के साथ-साथ विषयों की अवधारणा, स्थिति, संवैधानिक प्रावधान, मुद्दे व चुनौतियां, समाधान तथा सुझावों को विस्तृत रूप में दिया गया है, जो वर्तमान समय में परीक्षाओं में पूछे जा रहे प्रश्नों को हल करने में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। साथ ही साक्षात्कार में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों का सामाजिक-आर्थिक मुद्दे की समझ विकसित करने में सक्षम है।

इस पुस्तक में सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के सभी आयामों को शामिल किया गया जिनमें - मानव विकास, सतत विकास, समावेशी विकास, वित्तीय समावेशन, गरीबी , असमानता, भूख, कुपोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, क्षेत्रीय असंतुलन, और जनसांख्यिकी आदि हैं।

यह पुस्तक संपादक एन.एन. ओझा और क्रॉनिकल संपादकीय समूह द्वारा लिखा किया गया है।

एन.एन. ओझा, संपादक सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, को सिविल सेवाओं और अन्य संबंधित परीक्षाओं से जुड़े पत्रिकाओं, पुस्तकों, अध्ययन सामग्री आदि के लेखन और मार्गदर्शन का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है।

1990-91 में उन्होंने सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल - भारत की पहली पत्रिका जो पूरी तरह से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों को समर्पित है, का प्रकाशन आरम्भ किया जो आज तक निरंतर है। इनके कुशल मार्गदर्शन में **आईएएस प्लानर** (1995), **आईएएस मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक और सामान्य अध्ययन विषयों के हल प्रश्न पत्र, क्रॉनिकल इयर बुक, 'दी लेक्सिकॉन' - नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि** (2018) सहित कई अन्य उल्लेखनीय पुस्तकें प्रकाशित हैं जो यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।

क्रॉनिकल सम्पादकीय समूह में 40-45 विषय विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और वर्त्तमान में सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े अनुभवी व्यक्तियों की एक कुशल टीम कार्यरत है, जिन्होंने 200 से अधिक पुस्तकों के प्रकाशन में अपना योगदान दिया है, जिसने सिविल सेवाओं और संबंधित परीक्षाओं में अपना एक अलग मानदंड स्थापित किया। इन पुस्तकों से अभ्यार्थी काफी लाभान्वित भी हुए हैं।

आशा है यह पुस्तक आपके परीक्षा में चयनित होने की यात्रा में सर्वोत्तम मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

अनुक्रमणिका

1. सामाजिक-आर्थिक विकास की रूपरेखा 11-18

1.1 परिचय 11
1.2 सामाजिक-आर्थिक विकास की परिभाषा 11
1.3 सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा 11
1.4 सामाजिक-आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन 12
1.5 आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर 12
1.6 सामाजिक-आर्थिक विकास के संकेत 14
1.7 भारतीय समाज और सामाजिक-आर्थिक विकास 14
1.8 भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास 16
1.9 निष्कर्ष 18

2. मानव विकास 19-35

2.1 परिचय 19
2.2 मानव विकास की अवधारणा 20
2.3 मानव विकास के आयाम 20
2.4 मानव विकास के उपागम 21
2.5 मानव विकास के स्तंभ 22
2.6 मानव विकास का मापन 22
2.7 मानव विकास मापन से संबंधित अन्य सूचकांक 23
2.8 भारत में मानव विकास 25
2.9 मानव विकास के लिए सरकार का प्रयास 26
2.10 भारत में मानव विकास की चुनौतियां 32
2.11 सुझाव 34
2.12 निष्कर्ष 35

3. सतत विकास 36-63

3.1 परिचय 36
3.2 सतत विकास का उद्भव व विकास 36
3.3 सतत विकास की अवधारणा 37
3.4 सतत विकास के स्तंभ 37
3.5 सतत विकास के सिद्धान्त 38
3.6 सतत विकास का आकलन 40
3.7 एजेंडा 21 43
3.8 सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 43
3.9 सतत विकास लक्ष्य 44
3.10 सततता का मापन 47
3.11 भारत में सतत विकास 47
3.12 भारत में सतत विकास की आवश्यकता 48
3.13 भारत और सहस्राब्दि विकास लक्ष्य 49
3.14 भारत और सतत विकास लक्ष्य 52
3.15 भारत और सतत विकास रिपोर्ट, 2019 61
3.16 सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2.0 62
3.17 निष्कर्ष 63

4. समावेशी विकास 64-81

4.1 परिचय 64
4.2 समावेशी विकास की अवधारणा 64
4.3 समावेशी विकास के लक्ष्य 65
4.4 समावेश के प्रकार 67
4.5 समावेशी विकास के प्रमुख अवयव 68
4.6 समावेशी विकास का संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 69
4.7 भारत में समावेशी विकास 70
4.8 भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता 71
4.9 समावेशी विकास हेतु सरकार द्वारा की गई पहल 71
4.10 समावेशी विकास और उसके विविध पक्ष 72
4.11 भारत में समावेशी विकास की रणनीति 73
4.12 भारत में समावेशी विकास के समक्ष चुनौतियां 79
4.13 समावेशी विकास के लिए सुझाव 80
4.14 निष्कर्ष 80

5. वित्तीय समावेशन 82–98

5.1 परिचय 82
5.2 वित्तीय समावेशन की अवधारणा 83
5.3 वित्तीय समावेशन का उद्देश्य 84
5.4 वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति 84
5.5 भारत में वित्तीय समावेशन का विकास 86
5.6 वित्तीय समावेशन पर गठित समितियां 87
5.7 भारत में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए की गई पहल 89
5.8 वित्तीय समावेशन का प्रभाव 94
5.9 वित्तीय समावेशन की चुनौतियां 96
5.10 सुझाव 96
5.11 निष्कर्ष 98

6. गरीबी और असमानता 99–127

6.1 परिचय 99
6.2 गरीबी का मापन 100
6.3 गरीबी के प्रकार 101
6.4 वैश्विक निर्धनता परिदृश्य 104
6.5 गरीबी के कारण 105
6.6 भारत में गरीबी 107
6.7 भारत में गरीबी का अनुमान 108
6.8 भारत में गरीबी के कारण 112
6.9 भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 113
6.10 गरीबी निवारण कार्यक्रमों का मूल्यांकन 118
6.11 निष्कर्ष 119
6.12 असमानता 119
6.13 असमानता का मापन 120
6.14 भारत में असमानता 123
6.15 भारत में असमानता के कारण 124
6.16 असमानता का प्रभाव 124
6.17 असमानता को दूर करने के लिए किया गया प्रयास 126
6.18 सुझाव 126
6.19 निष्कर्ष 127

7. कुपोषण एवं भुखमरी 128–155

7.1 परिचय 128
7.2 कुपोषण की परिभाषा एवं अवधारणा 129
7.3 कुपोषण के प्रकार 130
7.4 भुखमरी का मापन 131
7.5 भुखमरी और कुपोषण के कारण 133
7.6 भारत में भुखमरी और कुपोषण 135
7.7 भुखमरी और कुपोषण का प्रभाव 136
7.8 भुखमरी और कुपोषण उन्मूलन का संवैधानिक प्रावधान 136
7.9 भुखमरी और कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास 137
7.10 भारत में कुपोषण उन्मूलन से संबंधित चुनौतियां 140
7.11 सुझाव 141
7.12 खाद्य सुरक्षा 141
7.13 खाद्य सुरक्षा की अवधारणा 141
7.14 खाद्य सुरक्षा के आयाम 142
7.15 खाद्य सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां 143
7.16 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की रणनीति 144
7.17 भारत में खाद्य सुरक्षा 144
7.18 भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति 145
7.19 भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता 145
7.20 भारत में खाद्य नीति का विकास 146
7.21 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और खाद्य सुरक्षा 147
7.22 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा किया गया प्रयास 151
7.23 सुझाव 154
7.24 निष्कर्ष 155

8. स्वास्थ्य 156–165

8.1 परिचय 156
8.2 स्वास्थ्य की परिभाषा व अवधारणा 157
8.3 भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था 157
8.4 भारत में तीन स्तरीय स्वास्थ्य प्रणाली 158
8.5 भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति 160
8.6 भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में विद्यमान मुद्दे 162

8.7 भारत में स्वास्थ्य सुधार के सरकार द्वारा किए गए प्रयास 162
8.8 भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था से संबंधित चुनौतियां 166
8.9 सुझाव 170
8.10 निष्कर्ष 172

9. शिक्षा 173–208
9.1 परिचय 173
9.2 भारत में शिक्षा का विकास 174
9.3 भारत में शैक्षिक सुधार 175
9.4 भारत में शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान 192
9.5 भारत में शिक्षा की वर्तमान स्थिति 194

10. भारत में बेरोजगारी 209–229
10.1 परिचय 209
10.2 रोजगार और बेरोजगारी की अवधारणा 210
10.3 रोजगार और बेरोजगारी का अनुमान 214
10.4 बेरोजगारी के प्रकार 216
10.5 वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, 2020 217
10.6 भारत में उच्च बेरोजगारी के कारण 218
10.7 आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 219
10.8 कृषि का नारीकरण 221
10.9 रोजगार से संबंधित भारतीय संस्थान 222
10.10 भारत में बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार द्वारा किया गया प्रयास 224
10.11 सुझाव 227
10.12 निष्कर्ष 228

11. भारत में ग्रामीण विकास 230–243
11.1 परिचय 230
11.2 ग्रामीण विकास की अवधारणा 230
11.3 ग्रामीण विकास का महत्व 232
11.4 भारत में ग्रामीण विकास 233
11.5 ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक तथ्य 233
11.6 ग्रामीण विकास का उद्देश्य 235
11.7 भारत में ग्रामीण विकास आधारित दृष्टिकोण 236

11.8 ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास 237
11.9 भारत में ग्रामीण विकास का प्रभाव 240
11.10 ग्रामीण विकास में आने वाली समस्याएं 241
11.11 सुझाव 242
11.12 निष्कर्ष 243

12. भारत में कृषि संकट 244–261

12.1 परिचय 244
12.2 भारत में कृषि संकट के सामाजिक–आर्थिक कारण 245
12.3 सरकार द्वारा किसानों को सामाजिक–आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पहल 249
12.4 सुझाव 260
12.5 निष्कर्ष 261

13. सामाजिक सुरक्षा 262–277

13.1 परिचय 262
13.2 सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा 264
13.3 सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता 265
13.4 सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य 266
13.5 भारत में सामाजिक सुरक्षा 267
13.6 सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण 268
13.7 भारत में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानून 270
13.8 भारत की सामाजिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मुद्दे 274
13.9 सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए सरकार द्वारा गठित समितियां 274
13.10 निष्कर्ष 277

14. असुरक्षित वर्ग 278–362

14.1 परिचय 278
14.2 असुरक्षित वर्ग का वर्गीकरण 278
14.3 महिलाएं 279
14.4 भारत में बच्चे 288
14.5 भारत में वृद्ध जनसंख्या 308
14.6 अनुसूचित जाति 314
14.7 अनुसूचित जनजातियां 325

14.8 भारत में अल्पसंख्यक वर्ग 325
14.9 पिछडा वर्ग 325
14.10 ट्रांसजेंडर 325

15. भारत में क्षेत्रीय असमानता 363–374

15.1 परिचय 363
15.2 क्षेत्रीय असमानता की अवधारणा 363
15.3 क्षेत्रीय असंतुलन/विषमता के प्रकार 364
15.4 भारत में क्षेत्रीय असंतुलन 364
15.5 क्षेत्रीय असंतुलन पर गठित समितियां 366
15.6 असमानता के कारण 368
15.7 क्षेत्रीय असंतुलन के परिणाम 370
15.8 असमानताओं को कम करने के लिए सरकार की नीति 370
15.9 सुझाव 372
15.10 निष्कर्ष 374

16. जनसांख्यिकीय 375–388

16.1 परिचय 375
16.2 भारत में 15वीं जनगणना (2011) 375
16.3 जनगणना की अवधारणा 376
16.4 भारत की जनगणना 2011 377
16.5 स्लम : भारत की जनगणना 381
16.6 भारत की धार्मिक संरचना: 2011 की जनगणना 384
16.7 भाषाई संघटन 385
16.8 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 386
16.9 जनसांख्यिकीय लाभांश 386

❖❖❖❖❖

1
अध्याय

सामाजिक-आर्थिक विकास की रूपरेखा

1.1 परिचय

'विकास' शब्द आमतौर पर आर्थिक प्रगति को संदर्भित करता है, परंतु यह राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति पर भी लागू हो सकता है। इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्र आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनको स्पष्ट ढंग से अलग करना मुश्किल है। सभी क्षेत्रों में विकास समान सिद्धांतों और कानूनों द्वारा शासित होता है, इसलिए यह शब्द समान रूप से लागू होता है।

- आर्थिक संवृद्धि और मानव विकास (आर्थिक विकास) का अर्थ एक समान नहीं है। आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक विकास का मात्र एक भाग के रूप में है। आर्थिक संवृद्धि को प्रायः सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) एवं प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि के रूप में समझा जाता है, जबकि आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि के साथ-साथ जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार को दर्शाता है। आर्थिक संवृद्धि के लिए लक्षित रणनीतियां और नीतियां औसत जीवन स्तर में सुधार के बिना किसी देश में अधिक आय का सृजन कर सकती हैं। जैसा कि तेल उत्पादक मध्य-पूर्वी देशों में हुईं।
- तेल की कीमतों में वृद्धि ने गरीब नागरिकों को बहुत अधिक लाभ के बिना उनकी राष्ट्रीय आय को बढ़ा दिया। इसके विपरीत लोकोन्मुख कार्यक्रम और नीतियां मौद्रिक विकास पर कोई विशेष जोर दिये बगैर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर सुधार के अन्य उपायों को बेहतर बना सकती है, जो भारत के राज्य केरल में 30 वर्षों के समाजवादी और साम्यवादी शासन में संभव हुआ है।

1.2 सामाजिक-आर्थिक विकास की परिभाषा

आर्थिक विकासः आर्थिक विकास' को देश में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग के अंश में वृद्धि करने एवं उत्पादकता में सुधार करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि को तेज करके समुदाय के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है।

- **सामाजिक विकास या सामाजिक परिवर्तनः** समाज के भीतर सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन को संदर्भित करने के साथ-साथ सामाजिक विकास या 'सामाजिक प्रगति' की धारणा को भी संदर्भित करता है। दार्शनिकों का विचार है कि समाज हमेशा द्वंदात्मक साधनों या विकासवादी साधनों द्वारा आगे बढ़ता है।

1.3 सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा

सामाजिक-आर्थिक विकास का अर्थ बेहतर शिक्षा, आय, कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से लोगों की जीवन शैली में सुधार करना है। यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है।

- आर्थिक परिवर्तन स्वास्थ्य, शिक्षा, काम करने की स्थिति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और बाजार की स्थितियों जैसे कारकों पर केंद्रित है, जो विकासशील अर्थव्यवस्था की संरचना से संबंधित व्यष्टि अर्थशास्त्र (micro economies) और समष्टि अर्थशास्त्र (macro economics) दोनों कारकों की जांच करता है और बतलाता है कि अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विकास बना सकती है।
- दूसरी ओर, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य समाज के बुनियादी सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन से है। यह सामाजिक-सांस्कृतिक विकास या सामाजिक प्रगति की धारणा को भी संदर्भित कर सकती है।
- इसके अलावा, कम-मूर्त (lesstangible) कारकों में परिवर्तन जैसे कि व्यक्तिगत गरिमा, संस्थानों की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा और शारीरिक नुकसान के डर से स्वतंत्रता, और नागरिक समाज में भागीदारी की सीमा को भी विकास का आकलन करते समय माना जाता है।
- इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक विकास, विभिन्न आयामों में सुधार की प्रक्रिया है, जो देश में मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करने के साथ-साथ सतत विकास को बढ़ावा देता है। सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के कारण ही, नई प्रौद्योगिकियां, कानूनों में बदलाव, भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन और पारिस्थितिक परिवर्तन संभव हुआ है। पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार, भारत ने राष्ट्र के विकास की दिशा में प्रगति की है।

1.4 सामाजिक-आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन

अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था के विकास में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों को आय के माध्यम से मापने का प्रयास किया गया है, जो विकास के गुणात्मक संकेतक के रूप में भी काम करता है। इस संदर्भ में पहचाने गए प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- **सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन:** आम तौर पर आर्थिक विकास में वृद्धि बचत दरों के साथ होती है, और सरकारी राजस्व (और व्यय), खाद्य पदार्थों की खपत में गिरावट, गैर-खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि, सेवाओं और उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ जाती है जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान घट जाता है।
- **रोजगार परिवर्तन:** रोजगार परिवर्तन उत्पादन में बदलाव और उत्पादकता में परिवर्तन को दर्शाता है। श्रम क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में स्थानांतरित होता है और बेहतर मानव संसाधन विकास के साथ उत्पादकता बढ़ाती है।
- **निर्यात की संरचना में बदलाव:** जैसे-जैसे विकास आगे बढ़ता है, निर्यात आय का एक बड़ा हिस्सा हो जाता है और निर्यात की संरचना में एक उल्लेखनीय बदलाव होता है, जिससे निर्यात का मूल्य प्राथमिक उत्पादों के सापेक्ष बढ़ जाता है।
- **जनसंख्या में वृद्धि की दर:** जैसे ही आय में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि की दर गिरने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जन्म दर में गिरावट के साथ-साथ मृत्यु दर में गिरावट आती है।
- **आय का वितरण:** आय पहले अधिक असमान रूप से वितरित हो जाएगी और फिर इस प्रवृत्ति को उलट दिया जाएगा। इसे साइमन कुजनेट (Simon Kuznets) द्वारा प्रतिपादित यू-आकार की परिकल्पना के रूप में जाना जाता है।

1.5 आर्थिक संवृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर

परम्परागत रूप से आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि को एक-दूसरे का पर्याय माना गया है। आर्थिक वृद्धि को उन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक रूप में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है,

4
अध्याय

समावेशी विकास

4.1 परिचय

समावेशी विकास का मतलब मूल रूप से व्यापक-आधारित विकास, साझा विकास और गरीब-समर्थक विकास है। आर्थिक नीति के दृष्टिकोण के रूप में यह माना जाता है कि किसी देश में गरीबी की तीव्र विकास दर में जब कमी आती है तो उस देश की विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है। इसमें अवसर की समानता प्रदान करना और शिक्षा व कौशल विकास के द्वारा लोगों को सशक्त करना शामिल है अर्थात् समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों का सृजन करें, बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को भी सुनिश्चित करें, उस विकास को भी समावेशी विकास कह सकते हैं। समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गो के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों का विकास भी करना है, परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी पूरी तरह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास न तो टिकाऊ होता है और न समावेशी ही।

- समावेशी विकास आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, जो रोजगार के अवसर का सृजन करता है और गरीबी को कम करने में मदद करता है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता हैं क्योंकि यह लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक आवश्यक क्षेत्र है, जिससे समाज के बहिष्कृत और हाशिए वाले तबके के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित होगा।
- उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) ने न केवल लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है बल्कि प्रवासन को भी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसके अलावा, सरकार ने क्रमशः शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करने और विकास को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), और भारत निर्माण जैसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम शुरू किए हैं।

4.2 समावेशी विकास की अवधारणा

समावेशी विकास के अंतर्गत हाशिए पर स्थित सभी बहिष्कृत समूहों को विकास की प्रक्रिया में हितधारकों के रूप में शामिल किया जाता है। विश्व बैंक ने 2009 में अपने एक दस्तावेज में लिखा है

कि समावेशी विकास में निरंतर अर्थव्यवस्था की वृद्धि व देश की श्रमशक्ति शामिल हैं। समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है, बाजारों और संसाधनों के संदर्भ में अवसरों की समानता सुनिश्चित होती है तथा सभी के लिए एक निष्पक्ष नियामक वातावरण का निर्माण होता है, जिसमें व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ते हैं तथा व्यवसायियों और व्यक्तियों की उत्पादक क्षमता में सुधार होता है।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि समावेशी विकास 'एक विकास प्रक्रिया, जो व्यापक-आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास का उद्देश्य गरीबी में कमी, मानव विकास, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन रचनात्मक होने का अवसर प्रदान करना है।
- समावेश में चार विशेषताएं शामिल हैं - अवसर, क्षमता, पहुंच और सुरक्षा।
  - **अवसरः** यह लोगों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनकी आय बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - **क्षमताः** उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए लोगों को अपनी क्षमताओं में सुधार करने पर केंद्रित है।
  - **पहुंचः** अवसरों और क्षमताओं को एक साथ लाने के लिए साधन प्रदान करने पर केंद्रित है।
  - **सुरक्षाः** लोगों को आजीविका के अस्थायी या स्थायी नुकसान से बचाने के लिए एक साधन प्रदान करती है।
- इस प्रकार कहा जा सकता है कि समावेशी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें जीडीपी में निरंतर विस्तार से मापा गया आर्थिक विकास सभी चार आयामों के पैमाने और दायरे के विस्तार में योगदान देता है।

4.3 समावेशी विकास के लक्ष्य

- **शिक्षा एवं दक्षता में विकासः** एक शिक्षित श्रम-शक्ति तीव्र विकास हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह बेहतरीन समावेशन का आधार भी है। सर्वशिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक विद्यलयों की आधारभूत संरचना को लगभग पूरा किया जा चुका है और अब यह जरूरी है कि हमें अपने प्रयास माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं आधारभूत संरचना के विस्तार संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए है।
- सार्वजनिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता विभिन्न प्रकार की समस्याओं से प्रभावित होती है, जिसके व्यापक स्तर पर शिक्षकों की अनुपस्थिति, अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण, पुरानी शिक्षण पद्धति एवं अपर्याप्त जवाबदेही शामिल है।
- वैश्विकरण की ओर अग्रसर और ज्ञान की ओर प्रवृत्त विश्व में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उच्च शिक्षा में मौजूदा नामंकन दर को बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय व्यवस्था में अत्याधिक विस्तार करने की आवश्यकता है, जिसमें स्पर्धात्मक विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के प्रयासों को शामिल करना आवश्यक है।
- **कृषि और ग्रामीण विकासः** समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। क्योंकि देश के अधिकांश भागों में खेतों से प्राप्त होने वाली पैदावार मौजूदा प्रौद्योगिकी द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली पैदावार से अत्यधिक कम है। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रौद्योगिकी के साथ-साथ कृषि पद्धतियों में सुधार करना होगा और महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराने होंगे। पैदावार को बढ़ाने के लिए समय पर जल उपलब्ध कराना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतः जहां संभव हो, योजना में सिंचाई के विस्तार और मौजूदा सिंचाई प्रणालियों में सुधार पर बल दिया गया है, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

9
अध्याय

शिक्षा

9.1 परिचय

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास करने और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और सामानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है।

- सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्धि, प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। आने वाले कुछ वर्षो में भारत विश्व का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।
- भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य-4 में परिलक्षित 'वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा' के अनुसार, विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है।
- वर्तमान समय में ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिसिअल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण एक ओर विश्व में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी वहीं दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी, जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हों।

शिक्षा के संबंध में प्रमुख व्यक्तियों के विचार

- **प्लेटो के अनुसार,** ''संसार में सबसे श्रेष्ठ और सुंदर कोई वस्तु है तो वह है शिक्षा।''
- **अरस्तु के अनुसार,** ''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास शिक्षा है।''
- **रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार,** ''सर्वोच्च शिक्षा वह है, जो हमें केवल सूचनायें ही नहीं देती, वरन् हमारे जीवन और सृष्टि के बीच समन्वय स्थापित करती है।
- **महात्मा गांधी के अनुसार,** ''शिक्षा से मेरा तात्पर्य सर्वश्रेष्ठ गुणों के प्रस्फुटन से है, जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान है।''
- **स्वामी विवेकानंद के अनुसार,** ''शिक्षा मनुष्य में पूर्व में निहित देवत्व की अभिव्यक्ति है।''

- जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी।
- उपर्युक्त जरूरतों को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020'' लाया गया है, जो 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी-4 शामिल हों, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है।
- नई शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है। यह नीति शिक्षा के साक्षारता और संख्याज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं, उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के साथ-साथ नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर के विकास पर भी जोर देता है।
- प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्म-ज्ञान और मुक्ति के रूप में माना गया था। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व-स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किये थे और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि आदि जैसे अनेकों विद्वानों को जन्म दिया।
- इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान-निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान दिए। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है।

9.2 भारत में शिक्षा का विकास

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था

- प्राचीन काल से ही भारतीय विद्वान अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। प्राचीन काल में फारस, यूनान, मिस्र, चीन तथा तिब्बत से विद्वान हिंदुओं के गुरुकुल अथवा बौद्धों के मठों में ज्ञानार्जन के लिए आते थे। यद्यपि गुरुकुलों के साथ-साथ नालंदा, तक्षशिला, कांचीपुरम इत्यादि विश्वविद्यालयों में शिक्षा पद्धति परंपरागत थी, तथापि उनकी रुचि सिर्फ धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र तथा भाषाशास्त्र में थी।
- सुश्रुत और चरक जैसे चिकित्साशास्त्री तथा भास्कराचार्य जैसे खगोलशास्त्री एवं गणितज्ञ तर्क आधारित विद्या के शोध में लगे हुए थे, उन्होंने सकारात्मक ज्ञान का प्रसार किया; लेकिन वे समाज को आधुनिक विज्ञान की दिशा में अग्रसर करने में कामयाब नहीं हो सके।

मध्ययुगीन शिक्षा व्यवस्था

- भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बावजूद लोगों में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हिन्दुओं की तरह मुसलमानों के विचार भी पारंपरिक थे। वे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर देने के बजाय धार्मिक एवं दार्शनिक शिक्षा पर जोर देते थे।

13
अध्याय

सामाजिक सुरक्षा

13.1 परिचय

वर्तमान अनुमान के अनुसार विश्व के 50 प्रतिशत लोगों को किसी प्रकार का सामाजिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, जबकि 80 प्रतिशत लोगों को जो सुरक्षा प्राप्त है, वह पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर पर वर्तमान सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों पर अत्यधिक नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह के संकट नीति विचार में बदलाव करने के मौके भी प्रदान करते हैं।

सामाजिक सुरक्षा: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, 'वह सुरक्षा, जो समाज में उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए दी जाती है, सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। ये जोखिम रोग, मातृत्व, विकलांगता, वृद्धावस्था, मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदा हो सकता है।'

- पहली बार सामाजिक सुरक्षा शब्द का प्रयोग 1935 में हुआ, जब अमरीका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया।

- विश्व की 40 प्रतिशत आबादी प्रति दिन प्रति व्यक्ति 2 डॉलर से कम अर्थोपार्जन करते हैं। विश्व के करोड़ों बच्चे पांच साल की उम्र पूरी करने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पौष्टिक आहार तथा दवाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए सामाजिक सुरक्षा गरीबी से उपर उठाने या गरीबी को कम करने का सबसे उतम तरीका है।
- वर्तमान समय में हमारे लिए सबसे जरूरी ऐसे उपाय हैं, जो वर्तमान संकट से परे जाकर- विश्व स्तर पर लोगों की स्थायी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करें।
- पिछले कई दशकों से यूरोपीय संघ (ईयू) और ओईसीडी देशों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों ने आय असमानता और गरीबी दूर करने में प्रभावी भूमिका निभाई है। व्यापक स्तर पर कहा जाए तो सामाजिक संरक्षण पर जितना ज्यादा खर्च किया जाता है, गरीबी का स्तर उतना ही निम्न होता है।
- सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां न केवल सामाजिक जरूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि ये आर्थिक आवश्यकता को भी पूरा करती हैं। ये विकास के लिए पूर्वापेक्षित हैं, समाज पर बोझ नहीं और इस अवधारणा ने विश्व पर आए आर्थिक संकट से पहले ही विकास से जुड़े नीतिगत विमर्श में अपनी जड़ें जमा लीं। हां संकट ने सामाजिक सुरक्षा संबंधी विमर्श को गति प्रदान की।
- संकट के दौर में, हस्तांतरित आय, सामाजिक सहायता और बेरोजगार श्रमिकों और अन्य संवेदनशील लोगों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा लाभ, सामाजिक एवं आर्थिक स्थायित्व का काम करते हैं। इन लाभों के कारण ही लोग न केवल गरीबी की गर्त में गिरने से बचते हैं बल्कि कुल मांग के संकुचित होने को सीमित करते हैं, जिससे मंदी का असर कम से कम होता है।

सामाजिक सुरक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जर्मनी विश्व का वह पहला देश था, जिसने वृद्धावस्था सामाजिक बीमा कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के योजनाकार ऑटो वोन बिस्मार्क थे। जर्मन चांसलर बिस्मार्क ने अपने देश में इस कार्यक्रम को दो उद्देश्यों के कारण प्रस्तावित किया था, जिसमें पहला श्रमिकों का कल्याण करना था, जिससे जर्मनी की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह संचालित हो, और दूसरा, अधिक अतिवादी समाजवादी विकल्पों का निवारण किया जा सके।

- वर्ष 1884 में 'बीमारी' बीमा और 1885 में श्रमिक मुआवजा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इन दोनों कार्यक्रमों और वृद्धावस्था सामाजिक बीमा कार्यक्रम के बाद जर्मन लोगों को सामाजिक बीमा सिद्धांतों पर आधारित आय सुरक्षा की एक व्यापक प्रणाली उपलब्ध हो गई। अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं के बावजूद बिस्मार्क को इन कार्यक्रमों के कारण 'समाजवादी' कहा जा सकता है।
- वर्ष 1935 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सामाजिक सुरक्षा कानून पर हस्ताक्षर किए और उसमें एक ऐसे पारिभाषिक शब्द को शामिल किया जिसमें 'आर्थिक सुरक्षा' और 'सामाजिक बीमा' को संयुक्त किया गया था।
- प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनेक क्षेत्रों में सामाजिक बीमा योजनाओं को तेजी से विकसित किया गया। इसके अतिरिक्त आईएलओ, इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑफ नेशनल यूनियंस ऑफ म्यूचुअल बेनेफिट सोसायटीज और सिकनेस इंश्योरेंस फंडस् सहित नए गठित अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कार्यसूची में सामाजिक संरक्षण को शामिल किया गया।
- सिकनेस इंश्योरेंस फंडस् को अक्टूबर 1927 में ब्रूसेल्स में शुरू किया गया था, जो बाद में इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन (आईएसएसए) कहलाया।
- वर्ष 1941 में अटलांटिक चार्टर के तहत, राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंग्सटन चर्चिल ने श्रम मानकों में सुधार, आर्थिक तरक्की और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा की प्रतिबद्धता दिखाई।
- फ्रांस में पिअरे लारोकी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के सभी नागरिकों को सामाजिक संरक्षण प्रदान करने के प्रयास के तहत वर्ष 1946 में एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का गठन किया।
- वर्ष 1944 में, युद्ध के दौरान, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के ऐतिहासिक फिलाडेल्फिया घोषणापत्र में सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपायों के विस्तार, सामाजिक सुरक्षा संस्थानों को अतंरराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन, सूचना के नियमित विनिमय और सामाजिक सुरक्षा के प्रबंधन से संबंधित सामान्य समस्याओं के अध्ययन का आह्वान किया गया।
- वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणापत्र को स्वीकृत किया, जिसके अनुच्छेद 22 में कहा गया कि 'प्रत्येक व्यक्ति को, समाज का एक सदस्य होने के नाते, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।'
- वर्ष 1952 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक सुरक्षा (न्यूनतम मानक) समझौता को स्वीकृत किया और वर्ष 2001 में संगठन ने सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया।

- सामाजिक सुरक्षा को बढावा देने के लिए औद्योगीकृत देशों ने प्रोत्साहन पैकज लागू किए हैं जिनका उद्देश्य बढ़ती बेरोजगारी और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से अपने नागरिकों की सामाजिक संवेदनशीलता की समस्या से निपटना है। ये देश जिन उपायों को लागू कर रहे हैं, उनमें प्रमुख है अधिक लचीले बेरोजगारी लाभ, संवेदनशील परिवारों को सामाजिक लाभों का हस्तांतरण और अन्य कार्यक्रमों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को शामिल करने के लिए अतिरिक्त अनुदान है।
- संकट के दौरान सुरक्षा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कई सरकारों ने वर्तमान सामाजिक हस्तांतरण प्रणालियों का प्रयोग किया और यह प्रदर्शित किया कि संकट प्रबंधन में स्थायी सामाजिक संरक्षण प्रणालियां कितनी महत्वपूर्ण होती हैं।